रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-877/2025/688/22-2-2025-17(847)/2025
लखनऊ : दिनांक: 28 जुलाई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी निर्भान सिंह (बन्दी सं0-392/2016) पुत्र श्री गजराम सिंह, सिसैया मगनपुर, थाना-फरीदपुर, जनपद-बरेली का निवासी है, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-722/2012 व 723/2012 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 व 30 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (भ्र०नि०अधि०) कक्ष सं0-02, बरेली के आदेश दिनांक-26.08.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक 27.07.2022 तक अपरिहार 10 वर्ष, 04 माह, 15 दिन एवं सपरिहार 11 वर्ष, 05 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है तथा जेल आचरण सन्तोषजनक तथा दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत शेष सजा परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बन्दी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-877/2025/688(1)/22-2-2025 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार-2, जिला कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।